

मैनुअल-14

15.1 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रिया-कलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का विवरण

- (1) सचिवालय अनुदेश, बिहार सेवा संहिता एवं कार्यपालक नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी कार्य किया जाता है।
- (2) लोक निर्माण संहिता एवं सरकार द्वारा स्थापित नियमों के आलोक में तकनीकी विषयों पर निर्णय लिया जाता है।
- (3) वित्तीय नियमावली, बजट संहिता एवं कोषागार संहिता में निहित प्रावधान के आलोक में बजट एवं वित्तीय मामलों पर निर्णय लिया जाता है।
- (4) भारत सरकार द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी निर्णय लिये जाते हैं।